प्रतिज्ञापत्र (बॉण्ड) देने वालों के लिये जानकारी

बॉण्ड देने वाले की भूमिका क्या है?

बॉण्ड देने वाले के तौर पर आप पैसा जमा करेंगे और/या देने का वादा करेंगे यह सुनिश्चित करने के लिये कि जो व्यक्ति नज़रबन्दी में है वह रिहाई-आदेश की सभी शर्तों का पालन करेगा। नज़रबन्द व्यक्ति को रहने की जगह प्रदान करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। सुनवाई सदस्य (मैम्बर) निर्णय लेगा कि आपका प्रस्ताव और साथ ही साथ अन्य शर्तें नज़रबन्दी का उचित विकल्प हैं या नहीं। यदि व्यक्ति रिहाई की सभी शर्तों का पालन नहीं करता है तो आपका जमा किया हुआ/या देने का वादा किया पैसा कॅनेडा बॉर्डर सर्विसिज़ एजन्सी (सी.बी.ऐस,ए.) अपने पास रख सकती है। यदि आपको पता चल जाए कि व्यक्ति रिहाई-आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो यह आवश्यक है कि आप बॉण्ड देने वाले के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का लिये सी.बी.ऐस.ए. को तुरन्त सूचित करें।

बॉण्ड देने वाला योग्य कैसे बनता है?

बॉण्ड देने वालों से यह आशा की जाती है कि वे नज़रबन्दी के पुनर्विचार (डिटैन्शन रिव्यू) के दौरान गवाही दें ताकि सदस्य यह निश्चित कर सके कि आप योग्य हैं या नहीं। कुछ ध्यान रखने योग्य बातों में जो शामिल हैं लेकिन केवल इन तक सीमित नहीं, वे हैं -

- आप कॅनेडा के नागरिक हों या कॅनाडा के स्थाई निवासी हों (यदि आप अदायगी (परफॉर्मैन्स) बॉण्ड का वादा कर रहे हों)
- आप कम से कम 18 वर्ष के हों
- आप उपस्थित हों और वर्तमान में कॅनेडा में निवास करते हों (यदि आप अदायगी (परफॉर्मैन्स) बॉण्ड का वादा कर रहे हों)
- नज़रबन्द व्यक्ति को पहचानते हों
- अपनी स्वतंत्र मर्जी से स्वयं सामने आए हों
- आप अपना पैसा लगाने के लिये तैयार हैं
- नज़रबन्द व्यक्ति की देखरेख करने को तैयार हों

कितने पैसों का आवश्यकता होती है?

आवश्यक पैसों की कोई निर्धारित रकम नहीं है, आप कितने पैसे जमा करना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करेगा। पैसों की रकम सुनवाई सदस्य व्दारा निर्धारित की जाएगी। बॉण्ड दो तरह के होते हैं - जमा (डिपॉझिट) और जिम्मेदारी लेना (गॅरन्टी)।

जमा (डिपॉझिट) क्या है?

ID – 674bi (2016/07/11)
फ्रैन्च में उपलब्ध

आम तौर पर यह नगद (कैश) बॉण्ड के नाम से जाना जाता है। सुनवाई में आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये पैसे नज़रबन्द व्यक्ति के नहीं हो सकते हैं। नज़रबन्द व्यक्ति कैद से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि ये रकम जमा न कर दी जाए। जमा करने की व्यवस्था सी.बी.ऐस.ए. व्दारा की जाती है।

जिम्मेदारी लेना (गॅरन्टी) क्या है?

आम तौर पर इसे अदायगी (परफॉर्मैन्स) बॉण्ड के नाम से जाना जाता है। आपके व्दारा वादा की हुई रकम जमा करने के लिये आप बाध्य होंगे यदि व्यक्ति अपने रिहाई-आदेश की शर्तों का पालन नहीं करता है तो। आपके वादे को पूरा करने की क्षमता का मूल्यांकन सी.बी.ऐस.ए. करेगी। उदाहरण के लिये, जिस रकम का आप वादा करते हैं वह निर्भर करेगी आपके व्दारा प्रस्तुत अपनी वर्तमान सम्पत्ति का दस्तावेजी सबूत, जैसे कि घर की मालकियत या वार्षिक आमदनी का सबूत। यदि आपकी कोई आमदनी नहीं है या सम्पत्ति नहीं है तो हो सकता है कि आप परफॉर्मैन्स बॉण्ड के योग्य ना हों।

बॉण्ड देने वाले के तौर पर मेरी जिम्मेदारियां कब समाप्त होंगी?

प्रत्येक मामला भिन्न-भिन्न होता है, समय की कोई निर्धारित अवधि नहीं है। बॉण्ड देने वाले के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप व्यक्ति की देखभाल करते रहें जब तक कि उसके आप्रवास (इमिग्रेशन) के मामले पूरी तरह से निर्धारित ना हो जाएं। व्यक्ति के इमिग्रेशन के मामले केवल कुछ सप्ताह ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह निर्धारित होने के लिये कई वर्ष भी लग सकते हैं। अंत में आपको अपने पैसे वापिस मिलेंगे जब आपकी देखरेख वाला व्यक्ति अपनी रिहाई-आदेश की सभी शर्तों को पूरा करेगा। यदि वह व्यक्ति रिहाई-आदेश की किसी भी शर्त को तोड़ता है तो आपके व्दारा जमा और/या वादा किया हुआ पैसा गंवाने का खतरा हो सकता है।

यदि मैं शर्त बदलना चाहूँ या अपनेआप को बॉण्ड देने वाले की भूमिका से मुक्त करना चाहूँ तो क्या?

यह आशा की जाती है कि आप तब तक बॉण्ड देने वाले बने रहेंगे जब तक व्यक्ति के आप्रवास के मामले पूरी तरह से निर्धारित ना हो जाएं। अपवाद के मामलों में, जैसे कि नया बॉण्ड देने वाला प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो सदस्य आपको बॉण्ड देने वाले की भूमिका से मुक्त कर सकता है। इन अपवाद के मामलों में जहाँ आप बॉण्ड देने वाला नहीं बने रहना चाहते हैं, यह आवश्यक है कि आप लिखित रूप से इमिग्रेशन डिविज़न रजिस्ट्री को आवेदन दें और आवेदन की प्रतिलिपियां सी.बी.ऐस.ए. और उस सम्बन्धित व्यक्ति को भेजें। इस बात की कोई गॅरन्टी नहीं है कि आपकी मांग स्वीकार कर ही ली जाए। कभी-कभी नई सुनवाई की आवश्यकता पड़ सकती है, या आपकी मांग बिना स्वीकार या अस्वीकार की जा सकती है।

बॉण्ड देने वालों के लिये अतिरिक्त संसाधन

डिटैन्शन रिव्यू के बारे में अधिक जानकारी के लिये कृपया डिटैन्शन रिव्यू हियरिंग पुस्तिका देखें जो आप्रवास और शरणार्थी बोर्ड (इमिग्रेशन ऐण्ड रिफ्यूजी बोर्ड) की वैबसाइट http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/detention/Pages/detention.aspx पर उपलब्ध है।

ID – 674bi (2016/07/11)
फ्रैन्च में उपलब्ध